कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 05.12.2025

विषयः- **थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कफ सीरप प्रकरण से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग की विवेचना के क्रम में आरोपी शुभम जायसवाल के चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट के आफिस जाकर शुभम जायसवाल व भोला प्रसाद की फर्म शैली ट्रेडर्स न्यू वृध्दि फार्मा से सम्बन्धित दस्तावेजो को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दी गयी तथा निर्देशित किया गया कि उक्त दस्तावेज पुलिस के समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत करे।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम तथा चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 0235/2025, धारा- 26 डी एनडीपीएस एक्ट बनाम शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद व अन्य की विवेचना के क्रम मे दिनांक 05.12.2025 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त के आरोपी शुभम जायसवाल के चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट विष्णु कुमार अग्रवाल के अन्नपूर्णा इन्क्लेव सिगरा मे स्थित कार्यालय में जाकर प्रभारी निरीक्षक/विवेचक श्री दयाशंकर सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे नामजद आरोपी शुभम जायसवाल व भोला प्रसाद की फर्म शैली ट्रेडर्स न्यू वृध्दि फार्मा सम्बन्धित दस्तावेजो को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस अन्तर्गत धारा 94 बीएनएसएस दी गयी तथा निर्देशित किया गया कि उक्त दस्तावेज पुलिस के समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत करे। इस मौके पर जनपद सोनभद्र की विशेष जांच टीम भी मौजूद रही।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0- 0235/2025, धारा- 26 डी एनडीपीएस एक्ट बनाम शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद व अन्य।

पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक/विवेचक श्री दयाशंकर सिंह, थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अंकित कुमार सिंह, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
3. आरक्षी अखिलेश कुमार, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी ।
4. एसआईटी जनपद सोनभद्र (उ0प्र0)

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।